फर्द अहकाम

न्यायालय S.D.M Kotputli

सरकार बनाम बलबीर

मुकदमा संख्या/वर्ष इस्तगासा 133 जा० फौ० /2010/2019

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11.4.19	पत्रावली आज पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि थानाधिकारी कोटपूतली ने इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 133 जा० फौ० इस आशय का प्रस्तुत किया है, कि गैरसायल द्वारा दुकान के आगे सामान रखकर रास्ते को अवरुद्ध किया है जो पब्लिक न्यूसेन्स की श्रेणी में है। प्रस्तुत इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को नोटिस जारी किया। सूचना उपरान्त गैर सायल हाजिर आया, तथा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया, कि प्रार्थी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, तथा स्वयं की दुकान में सामान रखता है एवं प्रार्थी किसी प्रकार का भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करेगा अतः कार्यवाही ड्रोप की जावें। हमने गैरसायल को सुना

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

S. D. M Kotputli.

सरकार —— बनाम —— बलवीर

संख्या/वर्ष इस्तगासा 123 अरा० का० /20 10/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब बयानात हल्फी अतिक्रमण होना स्पष्ट नहीं करता है। इस स्तर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कोटपूतली को निर्देश दिये जाते है कि मौका स्थल पर निरीक्षण कर यदि कोई भी अतिक्रमण किया जा रहा है या पाया जावे, तो उसको तुरन्त प्रभाव से हटाया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। उक्त आदेश की तदनुसार पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ण नकल 6 [illegible] हो, तथा बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटपूतली (जयपुर)	

Scanned by CamScanner